



2026:AHC:178219

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29867 वर्ष 2026

भरत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : विपिन गंगवार

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन अपराध संख्या 153 सन् 2026, धारा 191(2), 352, 115(2), 351(3), 353(2), 308(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना कैंट, जनपद बरेली में पंजीकृत प्रकरण में संबंधित न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट सह-अभियुक्त ऋषभ ठाकुर तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट करने तथा धन की जबरन वसूली की घटना के संबंध में दर्ज की गई है। विवेचना के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई सरोकार नहीं है तथा अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार उसने कोई अपराध नहीं किया है। घायल को आई सभी चोटें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



साधारण प्रकृति की हैं। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक के सह-अभियुक्त अंकित यादव को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25755 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 27.7.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के आपराधिक इतिहास को वर्तमान जमानत आवेदन के अनुच्छेद '20' में स्पष्ट किया गया है तथा वह दिनांक 11.7.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि समानता के आधार पर जमानत प्रदान की जाती है, तो आवेदक इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने का वचन देता है। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित रहने के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा पुरजोर विरोध किया गया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख एवं साक्ष्य का परिशीलन करते हुए तथा आरोपों की प्रकृति एवं पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक भरत को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i). आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii). आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
- (iii). आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(iv). आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v). आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण-पत्र का संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात ही उन्हें स्वीकार किया जाए।

उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

24 अगस्त, 2026

बृजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।